समाहरणालय, मधुबनी।
(जिला योजना कार्यालय)
–: अल्पकालीन निविदा आमंत्रण की सूचना :–

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत श्री कपिलदेब कामत, माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग–सह–स0वि0स0, बाबूबरही से मधुबनी जिला अंतर्गत मध्य विद्यालयों/उच्च विद्यालयों/सार्वजनिक पुस्तकालय भवनों में पुस्तकों क्रय (पुस्तकों की सूची के साथ) की अनुशंसा के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी से अनुमोदित पुस्तकों की सूची के आधार पर पुस्तक क्रय किया जाना है। पुस्तक क्रय हेतु निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक : **16.11.2018** को अपराहन 01:00 बजे तक प्रकाशकों/वितरकों एवं अधिकृत विक्रेताओं से मुहरबंद लिफाफा में निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदा को दिनांक : **16.11.2018** को ही अपराहन 02:00 बजे जिला क्रय समिति के समझ खोला जाएगा, जिसमें निविदादाता स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। पुस्तकों एवं विद्यालयों की विस्तृत सूची जिला योजना कार्यालय, मधुबनी से किसी भी कार्य दिवस में निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक : **15.11.2018** को अपराह्न 05:00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है तथा www.prdbihar.gov.in and www.madhubani.bih.nic.in जिला के बेवसाईट पर भी देखा/डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा जिला योजना कार्यालय, मधुबनी के कार्यालय में निर्धारित समय एवं तिथि तक जमा किया जाना है।

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए प्राप्त राशि से पुस्तक क्रय हेतु नमूने की एक–एक प्रति के साथ निविदा आमंत्रित की जाती है।

शर्ते :–

1. जिला योजना पदाधिकारी, मधुबनी के पदनाम से 30,000/– (तीस हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना होगा जो मधुबनी में भुगतेय होगा।
2. निविदादाता को तीन वर्षो का आयकर रिटर्न की प्रति तथा पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. निविदादाता का Turn over मो0 10,00,000.00 (दस लाख) रूपये का होना अनिवार्य है।
4. पूर्व में बिहार के सरकारी विद्यालयों में पुस्तक आपूर्ति का अनुभव प्रमाण–पत्र देना अनिवार्य होगा।
5. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र देना होगा।
6. क्रय की जाने वाली पुस्तकों के टाईटिल पृष्ठ एवं मूल्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन मान्य नहीं होगा।
7. बाल साहित्य के अतिरिक्त अन्य पुस्तकें 60 पृष्ठ से कम रहने पर मान्य नहीं होगा।
8. क्षति ग्रस्त अथवा न्यूजप्रन्टि पर छपी पुस्तकें स्वीकार नहीं की जाएगी।
9. बिहार क्षेत्रीय भाषाओं एवं बिहार के प्रमुख रचनाकारों की पुस्तकों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रत्येक पुस्तक अधिमानतः आई एस0बी0एन0 संख्या के साथ चयनित की जायेगी।
10. National Book Trust, NCERT प्रकाशन विभाग या अन्य सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठानों की पुस्तकों को प्राथमिकता दी जायेगी।
11. प्रकाशकों को आयकर, बिक्रीकर का अद्यतन प्रमाण देना होगा।
12. पुस्तकों के क्रय हेतु छूट की निम्नांकित न्यूनतम दरें निर्धारित की जायेगी।

(क) 01 से 10 प्रतियॉ पर	–	10 प्रतिशत
(ख) 11 से 25 प्रतियॉ पर	–	15 प्रतिशत
(ग) 26 से 100 प्रतियॉ पर	–	20 प्रतिशत
(घ) 101 से 200 प्रतियॉ पर	–	25 प्रतिशत
(ड़) 201 से 500 प्रतियॉ पर	–	30 प्रतिशत
(च) 501 से उपर प्रतियॉ पर	–	35 प्रतिशत

13. प्रकाशन उपर्युक्त निर्धारित छूट से यदि अधिक छूट देना चाहे तो स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा कि कितनी छूट दे सकते है।
14. नमूने के रूप में प्रस्तुत पुस्तकों रेल पार्सल स्वीकार नहीं की जायेगी।
15. नमूने के रूप में प्रस्तुत पुस्तकों में निम्नांकित सूचनाऍ निश्चित रूप से अंकित की जाय।

क्र0	*पुस्तक का नाम*	*लेखक का नाम एवं पूरा पता*	*प्रकाशक का नाम एवं पूरा पता*	*विषय*	*प्रकाशन वर्ष*	*पृष्ठ संख्या*	*साजिल्द/अजिल्द एवं मूल्य मुद्रित।*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*

16. पुस्तकों की आपूर्ति पूर्ण राशि का करना अनिवार्य होगा।
17. आधा–अधूरा पुस्तकों की आपूर्त्ति करने पर अग्रधन की राशि जब्त कर लीया जायेगा।
18. नमूने की एक–एक प्रति कार्यालय अवधि में विशेष वाहक या रजिस्टर्ड पार्सल द्वारा निविदा की तिथि से 30 (तीस) दिनों के अन्दर प्राप्त की जायेगी। उक्त तिथि के बाद प्राप्त किसी पुस्तक पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके लिए सरकार द्वारा किसी प्रकार का व्यय वहन नहीं किया जायगा।
19. निविदादाता को इस आशय का प्रमाण–पत्र देना होगा कि उन्हें निविदा की सभी शर्तें मान्य है।
20. बिना कारण बताए निविदा को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
21. किसी विवाद के स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।

23/x/18

उप विकास आयुक्त,
मधुबनी।